FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली पाली

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी :–
केवलराम पुत्र चुन्नीलाल जाति मेघवाल निवासी मोगराकला लुणी तहसील लुणी जिला जोधपुर राज.		1. भवराराम उर्फ भवरलाल पुत्र नेनाराम के कायम मुकाम :– अ. मंजू देवी भवराराम ब. करण पुत्र भवराराम स. नकुल कुमार पुत्र भवराराम द. पुजा पुत्री भवराराम य. विमला पुत्री भवराराम र. सावित्री पुत्री भवराराम ल. रिकु पुत्री भवराराम जातिगण सरगरा निवासीगण कोठार तहसील बाली जिला पाली राज. 2. महेन्द्र कुमार परिहार पुत्र चमनाराम जाति सरगरा निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली राज. 3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली तहसील बाली जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा : स्थगन प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या : 06 / 2025

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2025 / 67)

स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
07-04-2025	प्रार्थी अधिवक्ता ने मूल [illegible] अपील के साथ स्थगन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 C.P.C. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जेर अपील आराजी के हालात [illegible] मौके की स्थिति में [illegible] को रोका जाना आवश्यक है, अतः अप्रार्थीगण की तलबी में समय लगने के कारण एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अप्रार्थीगण को [illegible] [illegible] किया जाना है। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	पारित किया जाए।
	काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष के निवेदन पर हस्तगत प्रार्थनापत्र पर उनकी एकपक्षीय बहस को सुनने का निश्चय किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने विचाराधीन प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को इंगित करते हुए निवेदन किया कि मौजा कोठार के खाता संख्या 255 कुल रकबा 2.50 हेक्टेयर में से श्री नंदलाल से 1/3 वां हिस्सा यानि 0.86 हेक्टेयर जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 06-09-2023 के प्रार्थीगण द्वारा क्रय किया गया था यह कि, उक्त श्री नंदलाल ने उक्त दिनांक 06-09-23 को प्रार्थीपक्ष में निष्पादित बेचान से पूर्व ही दिनांक 01/08/2022 को अप्रार्थी संख्या दो महेन्द्र कुमार पाटीदार को 0.17 हेक्टेयर भूमि यानि 17/250 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचान कर दिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1294 दिनांक 20-12-2023 को स्वीकृत हुआ तथा शेष भूमि में खातेदार नंदलाल का 26/95 वाँ हिस्सा यानि 0.706 हेक्टे. ही शेष रहा, जबकि खातेदार नंदलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण को बेचान किया है अपीलान्ट नामान्तरकरण नहीं भरा सका तथा अप्रार्थी संख्या दो का राजस्व रिकॉर्ड में नाम इन्द्राज होने की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बासी में प्रकरण दर्ज करवा कर प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेज अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बासी द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 79/2024 को निर्णय दिनांक 10/07/2024 के द्वारा खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष द्वारा बहस के दौरान यह भी निवेदन किया गया कि राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज की आड़ में अप्रार्थी संख्या एक स्वर्गीय लंबोदर के वारिसान द्वारा जो अपील आराजी को गलत फर्जी नामान्तरकरण इन्द्राज करवाकर हस्तान्तरण, बेचान, रहन करने हेतु आमादा है, जिस हेतु उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए विवादित आराजी की मौके पर की यथास्थिति के आदेश पारित किये जावें।	
	अधिवक्ता अपीलान्ट की एकतरफा बहस को सुना गया। अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा जो अपील भूमि के सम्बन्ध में जरिए रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेज हक हकूक उत्पन्न होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है तथा (P.T.O.)	

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

यदि मैं (अपील आराजी) का उल्लंघन
हस्तांतरण होता है अथवा मौके की
स्थिति में रद्दोबदल होता है तो
न केवल मुकदमा का बहुलता पक्षों
के हितों के विरुद्ध होने की सम्भावना
है, अपितु पक्षों को अपूरणीय क्षति
भी कारित होगी। न्यायालय द्वारा का
यह भी निष्कर्ष आलिकट है कि अपीलार्थीगण
को तामीली हेतु लगने वाले आवश्यक
समय के दौरान में हस्तगत स्थगन
प्रार्थनापत्र की आत्यन्तिक आवश्यकता
भी विफल हो जाएगी।

अतः अपीलार्थी संख्या 01 स्व० नंदलाल
के वारिसान (अ) लगायत (स) एवं
अपीलार्थी संख्या तीन को राहत प्रदान
अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाता
है कि मौजा कोठार के खसरा संख्या-
-255 की भूमि की आगामी तारीख पेशी
तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति
में कोई परिवर्तन नहीं करें। विधि
का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मैं-
निगरानी विवादग्रस्त आराजी को दौरान-
इजलास सुरक्षित व संरक्षित रखा जाए,
यद्यपि अपीलार्थी द्वारा इस अपील में
उठाए गए बिन्दुओं एवं आधारों का
वैधानिक परीक्षण अपीलार्थीगण को
सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए
एवं अन्तिम बहस के दौरान पत्रावली पर

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

साक्ष्यों तथा न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में ही किया जा सकता है किन्तु पूर्वोक्त निर्देशानुसार (विवादग्रस्त आराजी पैमा काश्त) के खसरा संख्या 255 के सम्बन्ध में अपीलार्थी संख्या 1(अ) लगायत 1(ज) तथा अपीलार्थी सं.3 के आगामी तारीख पेशी तक निर्माण एवं मौके की यथास्थिति को बनाए रखा जावे।

अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष सि.प्र.सं. के आदेश-39 नियम 03 की पूर्वापेक्षा में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीपक्ष आइन्दा दिनांक 16/05/25 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

16/05/2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। स्थगन आदेश की अवधि आगामी ता.पे. तक बढ़ाई जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी साबिक आदेश की पालना करे। पत्रावली मूल पत्रावली (R.C.M.S. NO 2025/66) के साथ आयंदा दिनांक 03/06/2025 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

27/05/2025 अधिवक्ता प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण को जरिये विड्रोवल आज ही फैसल करवाना चाहते हैं। अतः उक्त प्रकरण की नियत तारीख पेशी दिनांक 03/06/2025 से पूर्व आज ही पत्रावली को तलब कर जरिये विड्रोवल फैसल फरमावें। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रकरण से संबंधित पत्रावली मुकर्रर पेशी से पूर्व इतलवा की जाकर आज तलब की गई एवं अधि. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दोनो प्रार्थना पत्र मिसल शुमार किये गये चूंकि स्वयं प्रार्थी जरिये अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि वे हस्तगत प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाकर विड्रो करना चाहते हैं, अतः प्रकरण जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है। मिसल शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

Man Singh (अधिवक्ता प्रार्थी)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner